रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) एक नयी कोच फैक्टरी का निर्माण योजना आयोग ने 1982 में सिद्धान्त रूप से अनुमोदित कर दिया हैं । इसके स्थान के बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

(ख) मैसर्स रेल इंडिया टेक्नीकल एण्ड इकनामिक सर्विसेज को एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का काम, जिसमें स्थान-निर्धारण सर्वेक्षण शामिल है, सौंपा गया हैं । परियोजना रिपोर्ट को अन्तिमरूप दिये जाने के बाद ही इस फैक्टरी के स्थान के बारे में निर्णय लिया जायेगा ।

Site for Wagon Manufacturing unit in Bihar

•414. SHRI RAJNI RANJAN SAHU; Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Railway Board has sounded the Bihar Government about a suitable site for the proposed Railway wagon manufacturing unit;

(b) whether it is also a fact that the Bihar Government has recommended Jam'alpur and Kanti (MuzafEarpur) as the possible sites; and

(c) what progress has been made in this regard?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI A. B. A. GHANI KHAN CHOUDHURY): (a) The Railway Board has not sounded the Bihar Government about a suitable site for any proposed railway wagon manufacturing unit. There is adequate capacity available *n tne public sector as well as in the private sector in India for manufacturing railway wagons.

(b) and (c) If the Member meant a coach manufacturing unit then the Bihar Government has requested for locating file ne\f toach factory near Jamalpur or near Muzaffarpur (Kanti). The Rail India Technical 'and Economic Services have been assigned the task of preparation of a project report including location survey. They will be evaluating the suggested site of the Bihar Government in this connection.

गन्ना-उत्पादकों की बकाया धन राशि

*415. **श्री वीरेन्द्र वर्मा** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि 10 जुलाई, 1979 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गन्ने के न्यूनतम मूल्य के बारे में केन्द्रीय सरकार की अधिसूचना को अवैध घोषित कर दिया था और भारत सरकार ने इस निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील दायर कर दी थी;

(ख) क्या यह भी सच है कि गत पांच वर्षों से उत्तर प्रदेश के गन्ना उत्पादकों की लगभग 10 करोड़ रुपये की धनराशि मिल मालिकों पर बकाया हैं ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने उसके शीघ्र भुगतान करने के सम्बन्ध में क्या कदम उठाये हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी, हां ।

(ख) 1983-84 और पिछले मौसमों के बकायों को दृष्टि में रखते हुए उत्तर प्रदेश में 30 जून, 1984 को गन्ने के मूल्य की कुल बकाया राशि 84.28 करोड़ रुपए बैठती है ।

(ग) गन्ने के मूल्य की बकाया राशि का भुगतान करवाना सुनिश्चित करना सीधी राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है जिनके पास ऐसे भुगतान करवाने के